



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 263) पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
14 मार्च 2024

एस० ओ० 71, दिनांक-15 मार्च, 2024—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 23	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
अगस्त, 23	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
सितम्बर, 23	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अक्टूबर, 23	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
नवम्बर, 23	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
दिसम्बर, 23	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2023 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई से दिसम्बर, 2023 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$

अनुसूची-1 (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	(1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)	अधिसूचना संख्या - 5360, 5361 दिनांक-27.09.23, गजट सं०-790 दिनांक-27.09.23	04 नियोजन

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+01.10.2022 +01.04.2023+01.10.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2024 से प्रभावी होगी	01.04.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	350.00+7.00+14.00+7.00=378.00	14.00	392.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00=395.00	15.00	410.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	447.00+9.00+18.00+9.00=483.00	18.00	501.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	545.00+11.00+22.00+11.00=589.00	22.00	611.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षी / लिपिकीय	10071.00+201.00+403.00+201.00=10876.00	403.00	11279.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2023 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-40-15/2021 श्र०सं०-1498)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

14 मार्च, 2024

एस० ओ० 72, एस० ओ० 71, दिनांक-15 मार्च, 2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-40-15/2021 श्र०सं०-1499)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

The 14th March 2024

S.O. 71, Date 15th March, 2024-- In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2023	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
August, 2023	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
September, 2023	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
October, 2023	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
November, 2023	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
December, 2023	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
Total			54740.5
Second Half Yearly Average of the year July to December,2023. $54740.5 \div 6 = 9123.41$			

SCHEDULE-1 (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.10.2023	Total
1	2	3	4
1	(1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993)	Notification No- 5360, 5361 Dated- 27.09.23 Gazette No.- 790 Dated- 27.09.23	04 Employment

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	350.00+7.00+14.00+7.00=378.00	14.00	392.00 Perday

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2024 Column (3+4)
2.	Semi skilled	366.00+7.00+15.00+7.00=395.00	15.00	410.00 Perday
3.	Skilled	447.00+9.00+18.00+9.00=483.00	18.00	501.00 Perday
4.	Highly Skilled	545.00+11.00+22.00+11.00=589.00	22.00	611.00 Perday
5.	Supervisor/ Clerical	10071.00+201.00+403.00+201.00 =10876.00	403.00	11279.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July, 2023 to December, 2023** will be payable at the aforesaid rates from **1st April, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/ M.W.- 40-15/2021 L&R-1498)

By the order of the Governor of Bihar,

Rajeev Ranjan,

Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 263-571+100-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>